



THE GAZETTE OF INDIA  
PART II—SEC. 3(1)

1987

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पद	व्यक्ति का पता
1	श्री. राजेश कुमार	अधीक्षक	...
2	श्री. सुनील कुमार	अधीक्षक	...
3	श्री. अमित कुमार	अधीक्षक	...
4	श्री. विजय कुमार	अधीक्षक	...
5	श्री. अशोक कुमार	अधीक्षक	...
6	श्री. प्रदीप कुमार	अधीक्षक	...

(1) ...  
(2) ...  
(3) ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the various sectors. It is a comprehensive survey of the economic and social conditions of the country. The report is divided into several chapters, each dealing with a different aspect of the country's development. The first chapter deals with the general situation of the country, and the subsequent chapters deal with the progress of the various sectors, such as agriculture, industry, and services. The report is a valuable source of information for anyone interested in the development of the country.

पृष्ठ-10  
पृष्ठ-11

8

7

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the various sectors. It is a comprehensive survey of the economic and social conditions of the country. The report is divided into several chapters, each dealing with a different aspect of the country's development. The first chapter deals with the general situation of the country, and the subsequent chapters deal with the progress of the various sectors, such as agriculture, industry, and services. The report is a valuable source of information for anyone interested in the development of the country.

9

5

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the various sectors. It is a comprehensive survey of the economic and social conditions of the country. The report is divided into several chapters, each dealing with a different aspect of the country's development. The first chapter deals with the general situation of the country, and the subsequent chapters deal with the progress of the various sectors, such as agriculture, industry, and services. The report is a valuable source of information for anyone interested in the development of the country.

पृष्ठ-12  
पृष्ठ-13

\* 55 (1987)

पृष्ठ-14

4

3

2

1

- (1) पृष्ठ-15
- (2) पृष्ठ-16
- (3) पृष्ठ-17
- (4) पृष्ठ-18
- (5) पृष्ठ-19
- (6) पृष्ठ-20
- (7) पृष्ठ-21
- (8) पृष्ठ-22
- (9) पृष्ठ-23
- (10) पृष्ठ-24
- (11) पृष्ठ-25
- (12) पृष्ठ-26
- (13) पृष्ठ-27
- (14) पृष्ठ-28
- (15) पृष्ठ-29
- (16) पृष्ठ-30
- (17) पृष्ठ-31
- (18) पृष्ठ-32
- (19) पृष्ठ-33
- (20) पृष्ठ-34
- (21) पृष्ठ-35
- (22) पृष्ठ-36
- (23) पृष्ठ-37
- (24) पृष्ठ-38
- (25) पृष्ठ-39
- (26) पृष्ठ-40
- (27) पृष्ठ-41
- (28) पृष्ठ-42
- (29) पृष्ठ-43
- (30) पृष्ठ-44
- (31) पृष्ठ-45
- (32) पृष्ठ-46
- (33) पृष्ठ-47
- (34) पृष्ठ-48
- (35) पृष्ठ-49
- (36) पृष्ठ-50
- (37) पृष्ठ-51
- (38) पृष्ठ-52
- (39) पृष्ठ-53
- (40) पृष्ठ-54
- (41) पृष्ठ-55
- (42) पृष्ठ-56
- (43) पृष्ठ-57
- (44) पृष्ठ-58
- (45) पृष्ठ-59
- (46) पृष्ठ-60
- (47) पृष्ठ-61
- (48) पृष्ठ-62
- (49) पृष्ठ-63
- (50) पृष्ठ-64
- (51) पृष्ठ-65
- (52) पृष्ठ-66
- (53) पृष्ठ-67
- (54) पृष्ठ-68
- (55) पृष्ठ-69
- (56) पृष्ठ-70
- (57) पृष्ठ-71
- (58) पृष्ठ-72
- (59) पृष्ठ-73
- (60) पृष्ठ-74
- (61) पृष्ठ-75
- (62) पृष्ठ-76
- (63) पृष्ठ-77
- (64) पृष्ठ-78
- (65) पृष्ठ-79
- (66) पृष्ठ-80
- (67) पृष्ठ-81
- (68) पृष्ठ-82
- (69) पृष्ठ-83
- (70) पृष्ठ-84
- (71) पृष्ठ-85
- (72) पृष्ठ-86
- (73) पृष्ठ-87
- (74) पृष्ठ-88
- (75) पृष्ठ-89
- (76) पृष्ठ-90
- (77) पृष्ठ-91
- (78) पृष्ठ-92
- (79) पृष्ठ-93
- (80) पृष्ठ-94
- (81) पृष्ठ-95
- (82) पृष्ठ-96
- (83) पृष्ठ-97
- (84) पृष्ठ-98
- (85) पृष्ठ-99
- (86) पृष्ठ-100

पृष्ठ-101

13

पृष्ठ-102

12

पृष्ठ-103 : पृष्ठ 14, 1987/पृष्ठ 23, 1988

[पृष्ठ-11-02 a (1)]



समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति  
द्वारा

13

- (1) निदेशक, सर्वोच्च प्रतिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समक विधायन प्रभाग। लागू नहीं होता
- (2) संयुक्त निदेशक --- अद्यक्ष
- (3) अनुसूचित जाति प्रथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय का कोई अधिकारी। यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समक विधायन प्रभाग/सर्वोच्च प्रतिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी --- सदस्य
- (4) उप निदेशक (प्रशासन) --- सदस्य

1	2	3	4	5	6
5	आवृत्तिक घेड-III *6 (1987) *कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अपजपजित लिपिक वर्गीय)	1200-30-1560- द. से. -49-2040 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रदेशों के प्रचार विभा- गीय उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष तक दृष्ट)   दृष्टिहीन : 1 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्दि- ष्ट तारीख भारत (अपमान और निर्दिष्ट हो गए नए लक्ष्मी के अनिश्चित) में उम्मीद- वारों से संबंधित पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।
	7		8		9
	बैठक प्रथम सत्रकक्ष योग्यता। आवृत्ति में प्रति मिनट 80 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट 40 शब्दों की न्यूनतम गति।		लागू नहीं होता		2 वर्ष
	10				
	11				
	12				लागू नहीं होता
					13
	विकरण एवं दक्षता शीघ्र के मामलों पर विचार करने के लिए समूह के विभागीय पदोन्नति समिति				लागू नहीं होता
	(1) निदेशक सर्वोच्च प्रतिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समक विधायन प्रभाग --- अद्यक्ष।				
	(2) संयुक्त निदेशक --- सदस्य।				
	(3) अनुसूचित जाति/प्रथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का कोई अधिकारी। यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समक विधायन प्रभाग/सर्वोच्च प्रतिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी --- सदस्य।				
	(4) निदेशक (प्रशासन) --- सदस्य।				